उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
3(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी एवं मिर्जापुर मण्डल के अंतर्गत तहसील स्तर पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2022 तक कितने राजस्व के मुकदमें पंजीकृत किये गये हैं ?	दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2022 तक वाराणसी मण्डल के अंतर्गत तहसील स्तर पर कुल 656373 तथा मिर्जापुर मण्डल के अंतर्गत तहसील स्तर पर कुल 278285 राजस्व मुकदमें पंजीकृत किये गये हैं।
(ख)	उक्त मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की सरकार के पास क्या कार्य योजना है ?	प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश दिनांक 28.12.2021, दिनांक 09.09.2022 व दिनांक 18.11.2022 तथा शासनादेश दिनांक 27.03.2018 व 26.12.2022 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।
(ग)	उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उक्त विवरण संलग्न है।
(घ)	यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री

महत्वपूर्ण/ई-मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग-12, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 4844 /12-एल(2)/2021 दिनांक 28-12-2021

विषयः उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के अंतर्गत दर्ज किये गये राजस्व वादों (दाखिल खारिज वादों) के सापेक्ष लम्बित वादों का समयान्तर्गत निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के अंतर्गत प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में दर्ज किये गये राजस्व वादों (दाखिल खारिज वादो)/निस्तारित वादों/लम्बित वादों की दिनांक 27-12-2021 तक की स्थिति आर0सी0सी0एम0 एस0 प्रणाली से डाउनलोड कर उक्त वादों की परिषद स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा करने पर यह संज्ञान में आया कि धारा-34 के अंतर्गत दायर किये गये राजस्व वादों का समयान्तर्गत निस्तारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी भी 06 लाख से भी अधिक वाद निस्तारण हेतु लम्बित हैं।

2- यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लम्बित लगभग 14 लाख राजस्व वादों के सापेक्ष धारा-34 के वाद सर्वाधिक संख्या में (कुल लम्बित वादों का लगभग 50 प्रतिशत) लम्बित हैं। धारा-34 के राजस्व वादों का समयान्तर्गत निस्तारण न होने से ही मा0 न्यायालय में पी0आई0एल0 दाखिल हो रहीं हैं जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के प्रति गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रतिकूल आदेश भी पारित किये गये हैं/किये जा रहे हैं। धारा-34 के अविवादित मामलों के निस्तारण हेतु समय-सीमा 45 दिन तथा विवादित मामलों के निस्तारण हेतु 90 दिन की समय-सीमा निर्धारित है परन्तु फिर भी इतनी अधिक संख्या में वादों के लम्बित होने से प्रतीत होता है कि वादों के निस्तारण में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों (तहसीलदार) द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है जोकि अत्यंत खेदजनक है।

3- अतः आर0सी0सी0एम0एस0 प्रणाली से डाउनलोड की गयी धारा-34 से सम्बन्धित वादों की सूची की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद में लम्बित वादों का शीघ्र निस्तारण करायें तथा राजस्व वादों की नियमित समीक्षा भी करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,
(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-4, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

27/12/2021

O/C

(सुधीर कुमार रूंगटा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

27/12/21

महत्वपूर्ण/ई-मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग–12, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 2801/12–10रिट/2022 दिनांक 9-9-2022

विषयः राजस्व वादों के त्वरित/समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में दायर किये जाने वाले वादों का शीघ्र/समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु शासन/परिषद स्तर से नियमित रूप से निर्देश निर्गत किये जाने के बावजूद भी सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों द्वारा राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण न किये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर हो रही हैं।

2– राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–1602/2022 श्रीमती कमलेश सिंह बनाम राजस्व परिषद, उ0प्र0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–05–2022 के अनुपालन में अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 की अध्यक्षता में शासन एवं परिषद के अधिकारियों के साथ दिनांक 10–08–2022 को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 18–08–2022 की निर्देशात्मक प्रतिलिपि अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित की गयी है तथा परिषद पत्र संख्या–2611/12–10रिट/2022, दिनांक 26–08–2022 के द्वारा भी उक्त बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रिट याचिका संख्या–1557/2022 प्रदीप कुमार तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 26–08–2022 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त बैठक में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को प्रभावी दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

3– अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में उक्त बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 18–08–2022 के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत करने का मुझे निदेश हुआ है:–

(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की कतिपय धाराओं को छोड़कर अधिकांश धाराओं के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दायर किये गये/किये जाने वाले वाद summary proceedings प्रकृति के होते हैं अतः ऐसे राजस्व वादों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय।

(2) वादी द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल के प्रस्तर–494 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत परिषद न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र के समर्थन में यदि वादी द्वारा उक्त प्रस्तर में निहित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं भी की गयी हैं तो भी शीघ्र सुनवाई

प्रार्थना पत्र पर शीघ्र विचार करते हुए सम्बन्धित राजस्व वाद का समयबद्ध ढंग से निस्तारण किये जाने हेतु अवर न्यायालय को आदेशित किया जाय।

(3) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–34 (नामांतरण संबंधी मामले) एवं धारा–24 (पैमाइश सम्बन्धी मामले) के अंतर्गत लंबित वादों तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत लंबित वादों का भी सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा नियमानुसार समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

(4) सभी पीठासीन अधिकारी बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों से नियमित अंतराल में(माह में कम से कम एक बार) वार्ता करके वादों के निस्तारण हेतु अधिवक्ताओं का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें ताकि न्यायालय, वादी एवं प्रतिवादी का अनावश्यक समय व धन बर्बाद न हो।

(5) सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर गुण–दोष के आधार पर राजस्व वादों का निस्तारण करने का प्रयास किया जाय जिससे Restoration के मामलों में कमी आ सके।

(6) सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों की नियमित रूप से समीक्षा की जाय/न्यायालयों का निरीक्षण किया जाय तथा समयबद्ध ढंग से राजस्व वादों का निस्तारण न करने वाले पीठासीन अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण की कारगुजारी का अंकन सम्बंधित पीठासीन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अवश्य किया जाय।

(7) सभी पीठासीन अधिकारी समय से न्यायालय में बैठेंगे तथा राजस्व वादों का समयबद्ध ढंग से नियमानुसार निस्तारण करेंगे।

4– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपर्युक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–4, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय विभाग, लखनऊ।
3– निबंधक, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।

(सुधीर कुमार रूंगटा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

ई–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–12 लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः– 3114 / 12–19रिट / 2022, दिनांकः 10-11-2022

विषयः रिट याचिका सं0–2841/2022 अवधेश कुमार व अन्य बनाम जिलाधिकारी लखनऊ व अन्य एवं सं0–3491/2022 मालती देवी बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की संगत धाराओं के अंतर्गत प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में दायर होने वाले राजस्व वादों को पंजीकृत किये जाने / समयबद्ध सुनवाई किये जाने / आर्डर शीट तैयार किये जाने / आर्डर शीट पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में व्यापक निर्देश विद्यमान हैं। उपर्युक्त कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन / परिषद स्तर से समय–समय पर मण्डलायुक्तों / जिलाधिकारियों को निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। आर0सी0सी0एम0एस0 प्रणाली की व्यवस्था बनाये जाने के उपरांत राजस्व न्यायालयों में अनिवार्य रूप से वाद के विवरण व बार कोड युक्त आर्डर शीट का प्रयोग किये जाने हेतु परिषदादेश दिनांक 08–11–2017 व परिषदादेश दिनांक 16–08–2019 के अंतर्गत समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0 को कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– कतिपय पीठासीन अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में निरंतर रिट याचिकाएं / पी0आई0एल0 दायर हो रही हैं। यह स्थिति कदापि स्वीकार योग्य नहीं है।

3– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे निम्न निर्देश निर्गत करने का निदेश हुआ है:–

(1) राजस्व न्यायालयों में दायर होने वाले राजस्व वादों को सम्बन्धित राजस्व न्यायालय में अनिवार्य रूप से तत्काल पंजीकृत किया जाय।

(2) बार कोड युक्त आर्डर शीट पर वाद का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

(3) आर्डर शीट पर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि उनके अधीनस्थ पीठासीन अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

(5) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा प्रतिमाह अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण भी किया जाय तथा उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

2— कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-4, लखनऊ।

2— निबंधक, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

(सुधीर कुमार रूंगटा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

10.11.2022

10/11/22

संख्या– 653/15-4-2018-रा0-4

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1–आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

2–चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2018

विषय:– राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजस्व वादों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु शासन/परिषद स्तर से समय–समय पर निर्देश–निर्गत किये जाते रहे हैं परन्तु इसके बावजूद भी विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों के विशेषकर 05 वर्ष व उससे अधिक अवधि के लम्बित राजस्व वादों की संख्या अभी भी अधिक है। अधिक अवधि तक वादों के लंबित रहने से वादकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ पीठासीन अधिकारियों का समय भी अकारण नष्ट होता है। अतः राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या–डब्लू 699/एक–12–2013–124 रिट/11 दिनांक 13.09.2013 द्वारा निम्न निदेश निर्गत किये गये है–

i- प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय में अद्यावधिक प्रासंगिक अधिनियमों/नियमावलियों एवं शासनादेशों/परिषदादेशों की प्रतियां अवश्य रखी जायें।

ii- समस्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा नियत वादों के निस्तारण हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006, उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2016, उ0प्र0 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह यथासंशोधित–2016 एवं अन्य संबंधित अधिनियमों में निर्धारित समयावधि का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा निर्धारित तिथियों में न्यायालय में न्यायिक कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाये।

iii- राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) में निर्धारित प्रारूप पर मिसिलबन्द रजिस्टर, केस डायरी तथा अन्य निर्धारित रजिस्टर बनाये जायें तथा उन्हें निरन्तर अद्यावधिक रखा जाये।

iv- राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु राजस्व परिषद उ0प्र0 द्वारा निर्धारित आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर समस्त प्रविष्टियों को सदैव अद्यावधिक किया जाये।

v- पीठासीन अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्यों के लिए निर्धारित तिथि को केवल उतनी संख्या में ही वादों को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाये जितने वादों की सुनवाई पीठासीन अधिकारी करने में सक्षम हों।

vi- यदि सम्मन तामील न होने के कारण मुकदमा स्थगित करना पड़े तो उसका कारण ज्ञात कर तामीला स्टॉफ का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

vii- न्यायालयों में वाद पत्रावलियों में यह सुनिश्चित किया जायें कि आदेश पत्रक (Order sheet) में प्रविष्टियां पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं अंकित की जायें और यदि उनके निर्देशन में पेशकार द्वारा भरी जायें तो उसपर तत्काल पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें। इसका विशेष ध्यान रखा जाये कि आदेश पत्रक (Order sheet) प्रयुक्त होने वाला कागज उच्च गुणवत्ता का हो।

viii- जिन तिथियों में विशेष राजस्व/चकबन्दी अदालतों का आयोजन किया जाये उनके सम्बन्ध में न्यायालय कक्षों के बाहर नोटिस बोर्ड पर सूचना अवश्य ही चस्पा की जाये, ताकि वादकारियों को समयान्तर्गत सूचना मिल सकें।

ix- मुकदमों में तारीखे तभी दी जायें जब ऐसा करना न्याय हित में अनिवार्य हो। मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत गवाहों का बयान व जिरह उसी दिन अंकित की जाये केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही जिरह के लिए आगामी तिथि निर्धारित की जाये। गवाहों के अधूरे बयान लिखना या गवाहों से आंशिक जिरह अंकित कर जिरह के लिए तारीख देना अनुचित है।

x- पाँच वर्ष से अधिक अवधि के पुराने वादों की पत्रावलियों पर लाल रंग की चिप्पी लगाकर उन्हें चिन्हांकित कर लिया जाये तथा इन वादों का दिन प्रतिदिन की सुनवाई के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

xi- नायब तहसीलदार/तहसीलदार न्यायालयों में नामान्तरण सम्बन्धी वाद कई वर्षों से लम्बित है इन्हें त्वरित एवं समयबद्ध ढंग से निस्तारित किया जाये।

xii- समस्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपीलीय/निगरानी न्यायालयों से मांगी गई पत्रावलियों को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायें ताकि अपील/निगरानियों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न होने पाये।

xiii- राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए शासन द्वारा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), उपजिलाधिकारी (न्यायिक), तहसीलदार (न्यायिक) के पदों का

सृजन किया गया है इन न्यायिक पदाधिकारियों से न्यायिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशासनिक कार्य न लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

xiv- शासन/राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार वादों का निस्तारण आवश्य किय जाये। पांच वर्ष से अधिक अवधि के पुराने लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

xv- प्रत्येक पीठासीन अधिकारी समय से न्यायालय में उपस्थित होकर पूरे दिन वादों के निस्तारण का कार्य करें। मुकदमों का यथा शीघ्र फैसला कर पारित आदेशों को अविलम्ब आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किया जाय एवं राजस्व अभिलेखों में भी अविलम्ब अमल दरामद किया जाय।

xvi- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक कर नियमित समीक्षा करेंगे एवं उपरोक्त दिये गये समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों की समीक्षा के उपरान्त ऐसे पीठासीन अधिकारियों को चिनहित करें जो न्यायिक कार्य में रूचि नहीं ले रहें है और जिनका वाद निस्तारण निर्धारित मानक अथवा दायरे के अनुसार नहीं है ऐसे पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। तथा इसकी सूचना प्रत्येक माह राजस्व परिषद को प्रस्तुत की जाये।

2- उक्त के अतिरिक्त शासन एवं परिषद द्वारा द्वारा भी राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु समय-समय पर निम्न निर्देश दिये जाते रहे हैं जिनका विवरण निम्नवत है-

1-राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS)में वादों को दर्ज किया जाना

समस्त राजस्व वादों को आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि किये जाने के संबंध में परिषदादेश दिनांक 05-08-2013 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वाद से संबंधित पक्षकारों को आगामी तिथि की एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने हेतु हितबद्ध पक्षों का मोबाइल नम्बर अंकित किये जाने के संबंध में परिषदादेश दिनांक 10-07-2015 निर्गत किया गया है।

2-प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लम्बित पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्रों को भी दैनिक वाद तालिका में प्रदर्शित एवं उनका त्वरित निस्तारण किया जाना-

प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लम्बित पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्रों को भी दैनिक वाद तालिका में प्रदर्शित एवं उनका त्वरित निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 14.12.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है।

3-बार कोड युक्त आदेश पत्रक (Order Sheet)पर ही आदेश दर्ज किया जाना-

समस्त राजस्व वादों में बारकोड युक्त एवं राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली जनित आर्डर शीट का प्रयोग किये जाने हेतु परिषदादेश दिनांक 08-11-2017 द्वारा अनिवार्य रूप से वाद के विवरण समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देश निर्गत किया गया है। आर्डर शीट में वाद संख्या, वर्ष, पक्षकारों के नाम, जिला एवं पीठासीन अधिकारियों के नाम व पदनाम अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने के निर्देश परिषदादेश दिनांक 12-09-2017 द्वारा दिये गये हैं।

4-राजस्व न्यायालयों में योजित पुनर्स्थापना (Restoration), पुनर्विचार (Review) एवं द्वितीय निगरानी (Second Revision) की ग्राह्यता/निस्तारण आदि के सम्बन्ध में-

राजस्व वादों में पुनर्स्थापना (Restoration), पुनर्विचार (Review) एवं द्वितीय निगरानी (Second Revision) के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 26-04-2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है।

5-राजस्व न्यायालयों में कैविएट पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

राजस्व परिषद द्वारा कैविएट प्रार्थना-पत्रों का राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में ऑनलाइन पंजीकरण किये जानें व ऑनलाइन कैविएट रजिस्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण को परिषदादेश दिनांक 19.03.2018 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

6-राजस्व वादों में पुनर्विलोकन करने का अधिकार केवल राजस्व परिषद न्यायालय में ही निहित होना-

राजस्व वादों में पुनर्विलोकन करने के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 06-10-2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं।

7- राजस्व वादों के निस्तारण में हितबद्ध पक्षों द्वारा जानबूझ कर विलम्ब किये जाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना-

निगरानी संख्या-2384/2015 रमेश चन्द्र आदि बनाम राकेश कुमार में पारित मा० राजस्व परिषद न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2017 के क्रम में परिषदादेश दिनांक 06.10.2017 समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है।

8- राजस्व वादों में पक्षकार वाद में प्रभावित/हितबद्ध है अथवा नहीं तथा वाद में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु उसका Locus Standi का निर्धारण-

परिषदादेश दिनांक 13.09.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं।

9– राजस्व वादों में अनावश्यक रूप से सामान्य तिथियां न नियत किया जाना–

राजस्व वादों में अनावश्यक रूप से सामान्य तिथियां न नियत किये जाने के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 08.03.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

10– पीठासीन अधिकारियों को निर्धारित मासिक मानक के अनुसार वादों के निस्तारण के निर्देश–

प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के लिए प्रति माह वादों के निस्तारण के मानक परिषदादेश संख्या–5645/12/पी0एस0 अध्यक्ष 2014 दिनांक 19–09–2014 द्वारा निर्धारित किये गये हैं।

11– नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में–

राजस्व न्यायालयों में योजित वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में भू–राजस्व अधिनियम 1901/उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 उ0प्र0, राजस्व न्यायालय मैनुअल, दीवानी (सिविल) प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, परिसीमा अधिनियम 1963 तथा समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 राजस्व परिषद न्यायालय द्वारा अवधारित नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण को परिषदादेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है।

12– उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33/39 व उ0प्र0, राजस्व संहिता, 2006 की धारा 32/38 के अन्तर्गत अभिलेखों का शुद्धीकरण–

अभिलेखों के शुद्धीकरण हेतु की जाने वाली सरसरी कार्यवाहियों को नियमित वाद की भांति चलाये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारण में विलम्ब को रोकने के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 06.10.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है।

13–अधिवक्ताओं की हड़ताल/कार्य बहिष्कार आदि से वाद निस्तारण में होने वाले विलम्ब को रोकने के सम्बन्ध में–

अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार आदि के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 22.09.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है कि सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों से यथावश्यक विचार विमर्श कर वादों के समयबद्ध निस्तारण हेतु उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें।

14— राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही का राजस्व परिषद स्तर से अनुश्रवण किया जाना—

राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा/अनुश्रवण किये जाने हेतु परिषदादेश दिनांक 28—09—2017 द्वारा रेवेन्यू साफ्ट पर न्यायिक कार्य निष्पादन—आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है।

15—कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित किये जाने के लिए निर्धारित समयावधि का अनुपालन—

राजस्व संहिता—2006 की धारा—80 तथा राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 88 (4) के अन्तर्गत कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित किये जाने हेतु नियत 45 दिनों में निर्णय लिए जाने के सम्बन्ध में परिषद पत्र दिनांक 21—02—2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारीगण को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है।

16—पैमाइश सम्बन्धी वादों का समयबद्ध निस्तारण

भू—राजस्व अधिनियम 1901 की धारा—41/राजस्व संहिता की धारा—2006 की धारा—24 के अन्तर्गत सीमा सम्बन्धी वादों का समयबद्ध निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 19—09—2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है।

17—प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज कराये जाने की समय सीमा का अनुपालन

प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज कराये जाने की समय सीमा का अनुपालन के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 14—08—2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण को निर्देश निर्गत किये गये है।

18—उ0प्र0 के राजस्व ग्रामों की सीमाओं पर अवस्थित स्तम्भों की कोडिंग, भौतिक सत्यापन, मरम्मत/पुनर्स्थापना एवं उनके अक्षांश एवं देशान्तर का निर्धारण—

राजस्व ग्रामों की सीमाओं पर अवस्थित स्तम्भों की कोडिंग, भौतिक सत्यापन, मरम्मत/पुनर्स्थापना एवं उनके अक्षांश एवं देशान्तर का निर्धारण के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 19—09—2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण को निर्देश निर्गत किये गये है।

19—उ0प्र0 के समस्त राजस्व ग्रामों में अवस्थित भू—खण्डों (गाटों) हेतु यूनीक कोड निर्धारित कर वादग्रस्त भू—खण्डों (गाटों) का राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में अंकन कराया जाना—

समस्त राजस्व ग्रामों में अवस्थित भू—खण्डों (गाटों) हेतु यूनीक कोड निर्धारित कर वादग्रस्त भू—खण्डों (गाटों) का राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS)

में अंकन कराये जाने के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 09–03–2017 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तगण तथा समस्त जिलाधिकारीगण एवं अन्य को निर्देश निर्गत कर अभियान के रूप में उ0प्र0 के समस्त राजस्व ग्रामों में अवस्थित भू–खण्डों (गाटों) हेतु यूनीक कोड निर्धारित कर वादग्रस्त भू–खण्डों (गाटों) का राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में अंकन कराया गया है।

अतः प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु अपने मण्डल एवं जनपद के अधीनस्थ न्यायालयों की नियमित समीक्षा करें एवं पीठसीन अधिकारियों को उपरोक्त शासन एवं परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव, राजस्व

महत्वपूर्ण
संख्या-रिट - 144/एक-4-2022

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2- आयुक्त चकबन्दी उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 24 दिसम्बर, 2022

विषय- राजस्व /चकबन्दी न्यायालयों में योजित होने वाले वादों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की संगत धाराओं के अंतर्गत प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में दायर होने वाले राजस्व वादों के संबंध में उ0प्र0 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में समय-समय पर शासन व राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से भी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या-2841/2022 अवधेश कुमार व अन्य बनाम जिलाधिकारी, लखनऊ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.9.2022 को विस्तृत निर्णय एवं आदेश पारित किये गये हैं, जिसके प्रस्तर-41 पर निम्न आदेश अंकित है:-

> 41. Thus, exercising powers under Article 227 of the Constitution of India, this Court issue directions to the Principal Secretary (Revenue), Government of Uttar Pradesh, Civil Secretariat, Lucknow as well as the Chairman, Board of Revenue, Lucknow to pass the necessary orders ensuring that the cases which are filed before the Revenue Courts are promptly registered. The order-sheets are properly drawn and signed by the Presiding Officer of the respective Courts promptly. To ensure its efficacy and implementation necessary checks and regular inspections be made in Tehsils in all districts of the State periodically and at intervals to oversee that the compliancies are being made.

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है :-

(1) राजस्व न्यायालयों (राजस्व परिषद से लेकर तहसील स्तर तक के न्यायालय)/ चकबन्दी न्यायालयों के समक्ष दायर मामलों को प्राथमिकता पर तुरंत पंजीकृत किया जाए।

(2) आदेश पत्र उचित रूप से तैयार किए जाएं और संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर तत्काल हस्ताक्षर किए जाएं।

(3) राजस्व परिषद स्तर के राजस्व न्यायालय का निरीक्षण परिषद के ही उच्चाधिकारियों द्वारा एक निश्चित अंतराल पर नियमित रूप से करते हुए राजस्व वादों के त्वरित एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाए तथा चकबन्दी न्यायालयों के संबंध में भी ऐसी ही कार्यवाही चकबन्दी आयुक्त द्वारा सम्पादित की जाए।

(4) समस्त जिलाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अपने जनपद से संबंधित समस्त तहसीलों की जाँच एवं निरीक्षण कर राजस्व वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के संबंध में राजस्व अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2018 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(6) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों द्वारा राजस्व परिषद के पत्र संख्या-3114/12-19रिट/2022, दिनांक 18.11.2022 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव